

**न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर, जिला - जबलपुर**  
**-:: आदेश ::-**

कं./ ९२५/सी.जे.एम./2025

जबलपुर, दिनांक-28.01.2025

माह फरवरी 2025 में वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से रिमांड कार्य निष्पादित किये जाने हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट की डियूटी लगाई जाती है। संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट वीडियो कॉन्फेसिंग का कार्य 10.30 बजे से 11.00 के मध्य वीडियो कॉन्फेसिंग रूम में उपस्थित होकर संपादित करे।

क	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक	क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक
1	श्रीमती दीपा पोल	04.02.2025	11	सुश्री श्रेया शर्मा	17.02.2025
2	सुश्री श्वेता खरे	05.02.2025	12	सुश्री किरण वर्मा	18.02.2025
3	श्री जितेन्द्र रावत	06.02.2025	13	श्री स्वास्तिक सावंत	19.02.2025
4	श्री जगमोहन सिंह	07.02.2025	14	श्रीमती मीनाक्षी दांदेलिया खण्डेलवाल	20.02.2025
5	श्रीमती हर्षिता जैन	08.02.2025	15	श्री भूपेन्द्र सिंह	21.02.2025
6	श्री किशन देव सिंह पटेल	10.02.2025	16	श्रीमती प्राची सिंह पटेल	22.02.2025
7	श्री फरहान मसूद कुरैशी	11.02.2025	17	श्रीमती रिशा अहमद कुरैशी	24.02.2025
8	श्री राहुल छत्री	12.02.2025	18	सुश्री अभिसारिका माहुँने	25.02.2025
9	सुश्री पलक श्रीवास्तव	13.02.2025	19	श्री प्रियम कुमार सक्सेना	27.02.2025
10	श्री अंशुल जैन	14.02.2025	20	सुश्री रीतिका विजय कुमार श्रीवास्तव	28.02.2025

(आलोक प्रताप सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जबलपुर

**प्रतिलिपि :-**

- 1- निज सचिव, (प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश) की ओर माननीय महोदय को अवगत कराये जाने हेतु प्रेषित।
- 2- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि उनके डियूटी दिनांक पर जेल से प्राप्त अभियुक्तों की पेशी से संबंधित सूची पर अभियुक्त की उपस्थिति/अनुपस्थिति दर्ज कर समस्त संबंधित न्यायालयों को सूचित कर मूल प्रति इस न्यायालय को प्रमाणित कर भेजे।

.....2

- 3- उक्त सूची में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण या पदोन्नत हो जाने के फलस्वरूप उनके स्थान पर पदभार ग्रहण करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट उस दिनांक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कार्य निष्पादित करेंगे एवं यदि किसी कारणवश दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय रिक्त हो जाती है या स्थानांतरित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पदभार ग्रहण नहीं किया जाता है अन्यथा उपरोक्त सूची में दर्शित यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट नियत दिनांक को अवकाश पर रहते हैं तो उक्त दिनांक को **सुश्री किरण वर्मा** जे.एम.एफ.सी. कार्य निष्पादित करेगी एवं यदि किन्ही कारणवश सुश्री किरण वर्मा जे.एम.एफ.सी. भी अवकाश पर रहती है तो **सुश्री श्रेया शर्मा** जे.एम.एफ.सी. कार्य निष्पादित करेगी यदि किन्ही कारणवश सुश्री श्रेया शर्मा जे.एम.एफ.सी. भी अवकाश पर रहती है तो **सुश्री पलक श्रीवास्तव** जे.एम.एफ.सी. कार्य निष्पादित करेगी।
- 4- जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल जबलपुर की ओर इस निर्देश के साथ सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित कि उक्त दिनांकों में लगायी गयी न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पेशी की सूची एक दिवस पूर्व संबंधित न्यायालय को प्रेषित करें।
- 5- जूनियर सिस्टम ऍनालिस कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय जबलपुर की पालनार्थ प्रेषित।

Sd/-  
(आलोक प्रताप सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जबलपुर